:: कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास) छिन्दवाड़ा ::

Phone no.- 07162-243419 e-mail-actw.cdw@mp.gov.in

क्रमांक / 3152 / वनाधिकार / आ.वि / 2020 छिन्दवाडा, दिनांक 01/~~08~~ 09/2020

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
व्ही.आई.पी.(सरकुलर रोड फॉरेस्ट कालोनी,
छिन्दवाडा.

विषय:– एडीबी योजनातंर्गत प्रस्तावित नीमढाना–हिरदागढ–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल लंबाई 39.35 कि.मी.) में छिन्दवाडा जिले में 13.125 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है । वनभूमि में कार्य करने के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारो के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे ।

सन्दर्भ:– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1478 / 54 / नीमढाना–बोरदेही / एमपीआरडीसी / 2020 छिन्दवाडा दिनांक 26.08.2020

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार एडीबी योजनातंर्गत प्रस्तावित नीमढाना–हिरदागढ–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल लंबाई 39.35 कि.मी.) में छिन्दवाडा जिले में 13.125 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है । तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

म.प्र.शासन वन विभाग के पृ0क. एफ–5/11/06/10–3 दिनांक 29.05.2009 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किसी बात के होते हुये भी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं के लिये वनभूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी । प्रकरण में ग्राम सभा एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के संबध मे विचार विमर्श एवं बैठको के अभिलेख, ग्राम सभा के समक्ष प्रकरण रखे जाने संबंधी कार्यवाही, आवेदित क्षेत्र में समस्त कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र व ग्राम सभा में सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत के कोरम मे विचार विमर्श कर निर्णय लेने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने, आवेदित भूमि पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा प्रस्तुत नही होने का प्रमाण तथा खंड स्तरीय समिति की अनुशंसा, ग्राम पंचायत प्रस्ताव,ग्राम सभा का सहमति पत्र, ग्राम सभा की उपस्थिति पंजी, स्थल पंचनामा, खसरा, नक्शा, पटवारी / वन विभाग का प्रतिवेदन संलग्न नही है ।

अतः प्रकरण मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है । कृपया उपरोक्त समस्त कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव से पूर्ण कराकर प्रकरण इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास छिन्दवाडा

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

पृ0कमांक / 3152 / वनाधिकार / आ.वि. / 2020 छिन्दवाडा, दिनांक 01/~~08~~ 09/2020

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर महोदय जिला छिन्दवाडा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल छिन्दवाडा ।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास छिन्दवाडा.

Scanned with CamScanner

MPRDC

म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

बी.आई.पी. (सरकुलर) रोड, [illegible] -292624

छिन्दवाड़ा (म.प्र.) CIN: U45203MP20

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा
ACTW
27 AUG
कलेक्टर अधीक्षक

रा. क्र 1478 / 54 / नीमढाना–बोरदेही / एमपीआरडीसी / 2020 छिंदवाड़ा, दिनांक 26/08/

प्रति,
कलेक्टर,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषयः– एडीबी योजनांतर्गत प्रस्तावित नीमढाना–हिरदागढ़–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल 39.35 कि.मी.) में छिंदवाड़ा जिले में 13.125 हैक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि मे कार्य करने के लिये अनुसूचित जनजाति एवं परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बावद ।

2145

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा नीमढाना–हिरदागढ़–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल लंबाई 39.35 कि.मी.) निर्माण कार्य हेतु अनुबंध क्र. 507/ दिनांक 23/06/2020 को किया गया है। जिसमे मार्ग के कि.मी. 8.550 से 9.150, 16.000 कि.मी. 18.250 एवं 20.300 कि.मी. से 26.200 का भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जो कि वनमण्डाधि (पश्चिम) सामान्य छिंदवाड़ा के अन्तर्गत आता है। मार्ग उन्नय हेतु कुल 13.125 हैक्टेयर वन भूमि आवश्यकता होगी। जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव किया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एव परम्पागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः अनुसूचित जनजाति एवं परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध है। जिससे मार्ग निर्माण की कार्यवाही समय में की जा सकें।

कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, छिंदवाड़ा
27 AUG
3207

(गगन भाबर)
संभागीय प्रबंधक
एम.पी.आर.डी.सी. छिन्दवाडा

पृष्ठा. क्र. / 54 / नीमढाना–बोरदेही / एमपीआरडीसी / 2020 छिंदवाड़ा, दिनांक / / 20

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता (एडीबी–6/7), म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी (पश्चिम), वनमंडल छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Environmental Safeguard Expert, म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।
4. उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण) म.प्र. सडक विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

–हस्ता:–
संभागीय प्रबंधक

Scanned with CamScanner

:: कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास) छिन्दवाड़ा ::

Phone no.- 07162-243419 e-mail-actw.cdw@mp.gov.in

क्रमांक / 3152 / वनाधिकार / आ.वि / 2020 छिन्दवाडा, दिनांक 01 / ~~08~~ 09 / 2020

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
पी.आई.पी (सरकुलर रोड फॉरेस्ट कालोनी,
छिन्दवाडा.

विषयः— एडीबी योजनातर्गत प्रस्तावित नीमढाना–हिरदागढ–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल लंबाई 39.35 कि.मी.) मे छिन्दवाडा जिले में 13.125 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है । वनभूमि में कार्य करने के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारो के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ।

सन्दर्भः— आपका कार्यालयीन पत्र कमांक / 1478 / 54 / नीमढाना–बोरदेही / एमपीआरडीसी / 2020 छिन्दवाडा दिनांक 26.08.2020

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार एडीबी योजनातर्गत प्रस्तावित नीमढाना–हिरदागढ–नवेगांव–बिन्दरई–बोरदेही मार्ग (कुल लंबाई 39.35 कि.मी.) मे छिन्दवाडा जिले में 13.125 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है । तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

म.प्र.शासन वन विभाग के पु0क. एफ–5 / 11 / 06 / 10–3 दिनांक 29.05.2009 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किसी बात के होते हुये भी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं के लिये वनभूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी । प्रकरण में ग्राम सभा एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के संबंध में विचार विमर्श एवं बैठको के अभिलेख, ग्राम सभा के समक्ष प्रकरण रखे जाने संबंधी कार्यवाही, आवेदित क्षेत्र में समस्त कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र व ग्राम सभा में सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत के कोरम में विचार विमर्श कर निर्णय लेने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने, आवेदित भूमि पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा प्रस्तुत नही होने का प्रमाण तथा खंड स्तरीय समिति की अनुशंसा, ग्राम पंचायत प्रस्ताव,ग्राम सभा का सहमति पत्र, ग्राम सभा की उपस्थिति पंजी, स्थल पंचनामा, खसरा, नक्शा, पटवारी / वन विभाग का प्रतिवेदन संलग्न नही है ।

अतः प्रकरण मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है । कृपया उपरोक्त समस्त कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव से पूर्ण कराकर प्रकरण इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास छिन्दवाडा

पृ0क्रमांक / / वनाधिकार / आ.वि. / 2020 छिन्दवाडा, दिनांक / 08 / 2020

प्रतिलिपिः—

1— कलेक्टर महोदय जिला छिन्दवाडा की ओर सादर सूचनार्थ ।

2— वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल छिन्दवाडा ।

3— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

-Sd/-
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास छिन्दवाडा.

1756
4.9.20

Scanned with CamScanner